यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** के माह 01/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार एवं श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री रवि प्रताप सिंह यादव, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.10.2017 से 13.11.2017 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण एवम आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। इकाई में नीट के माध्यम से 15% ऑल इंडिया कोटा एवं 85% राज्य कोटे के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	--	--	4963.49	583.75	--	--	--	4379.73
2016-17	--	--	2740.15	2439.84	--	--	--	300.03
2017-18 (9/2017) तक	--	--	2828.99	1485.78	--	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	--	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	--	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (9/2017) तक	--	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव/सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग) 2. अपर सचिव 3. संयुक्त सचिव 4.उप सचिव 5.अनु. सचिव 6. निदेशक 7. प्राचार्य

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 01 :- दून मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर रखने के कारण वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.87 करोड़ का अधिक व्यय

उत्तराखंड शासन ने अपने शासनादेश दिनांक 04.01.2016 द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एमसीआई के निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए दून चिकित्सालय में कार्यरत विभिन्न विभागों के 22 अर्ह चिकित्सकों को संकाय सदस्य के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर का पदनाम देते हुए दून मेडिकल कॉलेज में 01 वर्ष के लिए तैनाती का आदेश जारी किया था

कॉलेज द्वारा प्रदान की गई प्राध्यापकों की सूची के अनुसार 22 चिकित्सकों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया था

भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2016 को एलओपी प्रदान कर दी थी . एमसीआई के मानकों के अनुसार LOP के समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु विभिन्न विभागों के 28 पदों की स्वीकृति है, कॉलेज की मई 2016 की Faculty List के अनुसार कॉलेज में 45 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत थे जिसमे दून चिकित्सालय से आए 22 चिकित्सक भी सम्मिलित थे, शेष असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा पर नियुक्त किए गए थे, संविदा पर नियुक्त 23 असिस्टेंट प्रोफेसर में से 11 की नियुक्ति ऐसे विभागों में की गई जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी थी जबकि शेष 12 असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा पर) जिनका उल्लेख नीचे सारणी में दिया गया है ,की पदस्थापना ऐसे विभागों में की गई जहां दून चिकित्सालय से आए चिकित्सकों के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ थे जिससे उस विभाग में आधिक्य हो गया

कुछ विभागों जैसे General medicine, Ophthalmology, ENT तथा Obs & Gyane में दून चिकित्सालय से आए चिकित्सकों को विभाग की आवश्यकता के सापेक्ष आधिक्य में पदस्थ किया गया है

कॉलेज द्वारा निम्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर संविदा के आधार पर अधिक नियुक्तियाँ की गई हैं जो कि निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	विभाग का नाम	एमसीआई के Norms के अनुसार स्वीकृत पद(LOP)	कुल कार्यरत	दून चिकित्सालाय से आए चिकित्सक	संविदा के आधार पर अधिक नियुक्ति
1.	Pathology	01	02	01	01 (डॉ मीनाली राजा)
2.	General Medicine	03	08	06	02 (डॉ निधि उनियाल एवं डॉ संजय कुमार वरुण)
3.	Pediatrics	01	02	01	01 (डॉ तन्वी)
4.	Psychiatry	01	02	01	01 (डॉ जीतपाल सिंह राणा)
5.	General Surgery	03	05	03	02 (डॉ विपुल कंडवाल, डॉ मोहित गोयल)
6.	Opathalmology	01	03	02	01 (डॉ सुशील ओझा)
7.	ENT	01	04	03	01 (डॉ विकास सिकरवार)

8.	Obs & Gynae	02	06	04	02 (डॉ रीना पाल , डॉ मीनाक्षी सिंह)
9.	Dentistry	01	02	0	01 (डॉ देवाशीश सवाई)

शासन ने अपने दिनांक 17.02.2017 के आदेशानुसार दून चिकित्सालय के 17 चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया, कार्यालय द्वारा प्रदान की गई अप्रैल 2017 की Faculty List में यह 17 चिकित्सक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे First Renewal के समय एमसीआई के मानकों के अनुसार विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 36 पद स्वीकृत थे,

उपरोक्त सारणी में दर्शाये गए 09 विभागों के आधिक्य पर संविदा पर नियुक्त निम्नलिखित 12 असिस्टेंट प्रोफेसरो को नीचे सारणी में दिये विवरण के अनुसार ₹ 1.87 करोड़ का वेतन पर भुगतान किया गया है। सरल क्रमांक 01, 02, 03, तथा 06 में अंकित असिस्टेंट प्रोफेसरों को वेतन की गणना संबन्धित विभाग में उनके आधिक्य में रहने की तिथि तक / उनके विभाग को छोड़ने की तिथि तक को दृष्टिगट रखते हुए की गई है

स क्र	**विभाग का नाम**	**असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम**	**अवधि**	**वेतन पर भुगतान**
01	Pathology	डॉ मीनाली राजा	01.05.16 से 31.05.17	17,18,877
02	General Medicine	डॉ निधि उनियाल	05.01.16 से 23.09.16	8,20,574
		डॉ संजय कुमार वरुण	12.02.16 से 29.08.16	6,21,548
03	Pediatrics	डॉ तन्वी	05.01.16 से16.01.17	11,78,166
04	Psychiatry	डॉ जीतपाल सिंह राणा	08.02.16 से 30.09.17	19,04,147
05	General Surgery	डॉ विपुल कंडवाल	05.01.16 से 30.09.17	19,44,702
		डॉ मोहित गोयल	05.01.16 से 30.09.17	20,14,676
06	Opathalmology	डॉ सुशील ओझा	27.01.16 से 30.09.16	7,75,322
07	ENT	डॉ विकास सिकरवार	05.01.16 से 30.09.17	18,97,110
08	Obs & Gynae	डॉ रीना पाल	05.01.16 से 30.09.17	20,14,676
		डॉ मीनाक्षी सिंह	11.01.16 से 30.09.17	19,95,592
09	Dentistry	डॉ देवाशीश सवाई	23.02.16 से 30.09.17	18,51,327
	कुल योग			**1,87,36,717**

उपरोक्तानुसार संविदा पर अधिक नियुक्त किए गए असिस्टेंट प्रोफेसरों पर ₹1.87 करोड़ का व्यय किया गया है , इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ शासन स्तर से की गई है , एमसीआई के निरीक्षण हेतु दून चिकित्सालय में कार्यरत अर्ह चिकित्सकों को संकाय सदस्य के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर का पदनाम नामित करते हुए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आबद्ध किया गया था एवं जिसे एमसीआई के मानकों को पूरा करने हेतु भरा गया था, जिनका पृथक से वेतन निर्गत नहीं किया गया है अतः शासन पर अतिरिक्त

वेतन का भार नहीं पड़ा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है संप्रेक्षा में दून चिकित्सालय से स्थानांतरित चिकित्सकों के वेतन पर आपत्ति नहीं की गई है बल्कि कुछ विभागों में संविदा के आधार पर अधिक नियुक्त किए गए असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन पर आपत्ति की गई है जो कि एमसीआई के मानदंड से आधिक्य में हैं । प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- औषधि पर रु. 16.36 लाख अनियमित क्रय एवं जिसके कारण रु. 1.47 लाख का व्यायाधिक्य।

राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2015 से लागू की गयी औषधि क्रय नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियों को छोड़कर शेष समस्त औषधियों के टेंडर कराये जायेगें। परिधिगत अधिकारियों द्वारा QUOTATION प्रक्रिया द्वारा कोई भी क्रय नहीं किया जाएगा। केवल आकस्मिकता यथा आपदा, बाढ़ दुर्घटना आदि परिस्थितियों में स्थानीय क्रय भारत सरकार के उपक्रमों के साथ राज्य सरकार के उपक्रमों जो स्वयं औषधि निर्माता हो, से उक्त स्थिति में न्यूनतम दर पर क्रय की जा सकेगी।

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से संबंध टीचिंग चिकित्सालय की औषधि से संबंधित अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में निम्न से बिना टेंडर के स्थानीय क्रय किया गया। विवरण नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1

(धनराशि रु. में)

फर्म का नाम	बिला सं./दिनांक	औषधि का नाम	प्रिंट दर	बिक्री दर	मात्रा	कुल राशि/टैक्स
AXA Parental ltd Roorkee, Haridwar	2867,22/3/16	Metronidazole 100 ml	13.74	10.07	4500	45315/2266
	2869,22/3/16	Ciprofloxacin 100 ml	17.45	12.02	4000	48080/2404
	2870,22/3/16	Sodiumcloride 500 ml	27.38	20.12	2300	46276/2313
	2871,22/3/16	Ringer lactet 500 ml	57.95	23.75	2000	47500/2375
	2872,22/3/16	Dextrose 10% 500 ml	27.26	24.80	1900	47120/2356
	2873,22/3/16	Dextrose 5% 500 ml	29.82	21.58	2200	47476/2373
	2874,22/3/16	Dextrose sod. Chl. 500 ml	29.99	21.72	2200	47784/2390
	2875,22/3/16	Ecectrolyte-p 500 ml	115	26.55	1800	47790/2390
	योग					**377341/18867**
	कुल योग					**396207**

जबकि वर्ष 2016-17 में की गयी निविदाओं में से मई 2016 को M/s Axa Parentals Ltd को Dextrose, Ringer Lactet आदि हेतु, M/s Claris Otsuka Pvt Ltd को Inj Ceprofloxacin एवं Metronidazole हेतु और M/s Chiron Behring Vaccines Pvt Ltd को Inj ARV हेतु चयनित किया गया था तथा दिसम्बर 2016 को निविदा में M/s Baxalta, M/s Reliance एवं M/s Alpha को क्रमशः Factor VIII, IX हेतु चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निविदित फर्मों से क्रय की गई औषधि की दरें कम थी जिनका विवरण निमन तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका -2

(धनराशि रु. में)

दवा का नाम	बिल सं./दिनांक	वर्ष 2015 की दर	निविदा के बाद की दर	अंतर	मात्रा	धनराशि
Metronidazole 100 ml	MC2187,28/10/16	10.07	7.61	2.46	4500	11070
Sodiumcloride 500 ml	2035,14/11/16	20.12	12.66	7.46	2300	17158
Ciprofloxacin 100 ml	MC2204,28/10/16	12.02	8.69	3.33	4000	13320
Dextrose sodium chloride 500 ml	1952,3/11/16	21.72	13.69	8.03	2200	17666
Ringer lacted 500 ml	1951,3/11/16	23.75	13.61	10.14	2000	20280
						79494

इस प्रकार उपरोक्त तालिका-2 के अनुसार वर्ष 2015-16 में अनिविदित फर्म से औषधि क्रय किए जाने के कारण रु. 0.79 लाख का व्यायाधिक्य किया गया था।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (सितम्बर तक) में कुल रु. 12.40 लाख की औषधियों का क्रय स्थानीय स्तर पर बिना निविदा के किया गया। जिसका विवरण संलग्नक-क में दिया गयाहै। इस प्रकार लेखापरीक्षा अवधि जनवरी 2016 से सितम्बर 2017 के बीच पाँच फर्मों से कुल रु. 16.36 लाख (तालिका-1 की धनराशि को शामिल करते हुए) की दवाइयों की खरीद टेंडर से चयनित फर्मों के अलावा की गयी।

आगे लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनिविदित फर्मों से खरीद की गई औषधियों में से निम्न औषधियों प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में उपलब्ध थी तथा मार्केट की दरों से कम दर पर उपलब्ध थी जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका-3

दवा का नाम	फर्म का नाम (जहाँ से क्रिय की गयी।)	बिल सं./दिनांक	क्रय की दर	जेएपीएल	अंतर	मात्रा	धनराशि
Tab Olanzapine 5mg (10)	M/s Om Sai Enterprises, ddun	111,/23/3/16	29.90	8.10	21.80	2000	4360
Cap Fluoxetine 20 mg (10)			33.00	7.94	25.06	2000	5012
Tab Sertraline 50 mg (10)			41.00	15.99	25.01	2000	5002
Tab Carbamazepine 200 mg (10)			14.25	12.60	1.65	2000	330
Inj 100 mg Hydro cortisone	Medicon pharama, ddun	1510,13/10/16	34.00	23.94	10.06	1400	14084
Inj 2 ml Dexamethasone		1509,20/10/16	7.00	5.14	1.86	6500	12090
Inj 5 ml Tranexa		1504,13/10/16	19.50	18.59	0.91	2200	2002
Tab Propranolol 10 mg (10)	M/s M.S. Medicose, ddun	48,23/5/17	10.00	3.51	6.49	2000	1298
Tab Escitalopram 10 mg (10)		3500	16.00	4.83	11.17	1000	1117

Tab 500 mg Levetiracitum (10)			90.00	55.00	35.00	1000	3500
Tab Clobazam 5mg (10)			42.00	13.39	28.61	1000	2861
Tab Lorazepam 2mg (10)			17.50	6.30	11.50	500	575
Inj 5 ml Tranexa	Medicon pharma, ddun	686,228618/12/16	19.50	17.89	1.61	1000	1610
Inj 100 mg. Hydro cartisone		659,13/10/57516	34.00	23.94	10.06	1400	14084
जेएपीएल- जन औषधि मूल्य सूची					**योग**		**67925**

इस प्रकार टीचिंग चिकित्सालय हेतु प्रधानमंत्री जन औषधि सूची की दर से या इस के सप्लायर/निर्माता से औषधि की खरीद न किए जाने के कारण क्रय में रु. 0.68 लाख का व्यायाधिक्य किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा औषधियाँ पर अनियमित क्रय, व्यायाधिक्य एवं प्रधानमंत्री जन औषधि सूची की दर पर क्रय के जाने के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2015-16 से दून चिकित्सालय के मेडिकल कालेज में हस्तांतरण से अव्यवस्था के कारण जनहित एवं आपाताकालीन सेवाओं को देखते हुए क्रय किया जाना आवश्यक था तथा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में अन्य फर्मों से आवश्यक सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए क्रय करना आवश्यक था और आगे बताया गया कि संबंधित औषधियाँ जन औषधि केन्द्र में उपलब्ध न होने के कारण क्रय की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि औषधि क्रय नीति जुलाई 2015 में निर्धारित कर दी गयी थी और दून चिकित्सालय को संबंध करने के शासनादेश दिसंबर 2015 में जारी किए गए थे। अतः अनियमित क्रय लागू क्रय नीति का उल्लंघन था। आगे जन औषधि की सूची अक्टूबर 2015 से उपलब्ध है एवं व्यायाधिक्य को आगणित किए जाने हेतु औषधियों की दर इसी सूची से ली गयी है।

अतः औषधि पर रु. 16.36 लाख अनियमित क्रय एवं जिसके कारण रु. 1.47 लाख का व्यायाधिक्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 03 : मेडिकल कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकों एवं जर्नल की खरीद पर ₹1.27 लाख का अधिक व्यय

कॉलेज में स्थापित केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा सितंबर 2015 में एमसीआई के निरीक्षण के क्रम में पुस्तकालय को क्रियाशील करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था , जिसमे 20 विभागों के लिए 630 पुस्तकों की 4131 प्रतियों जिसका अनुमानित मूल्य 1,19,72,358/ है का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

03 दिसम्बर 2015 में शासन ने पुस्तकों की खरीद पर सहमति दर्शाते हुए निर्देशित किया कि पुस्तक चयन समिति तथा पुस्तक क्रय समिति एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। कॉलेज, पुस्तकालय संबंधी अभिलेखों में पुस्तक चयन समिति एवं पुस्तक क्रय समिति के गठन से संबन्धित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं करा पाया एवं दिसंबर 2015 को शासन ने पुस्तकों की खरीद हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी।

कॉलेज ने 07 प्रकाशकों /एजेंसियों द्वारा पुस्तकों पर प्रस्तावित छूट का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जिनमें भट्ट ब्रदर ने पुस्तकों पर 35 % तथा जर्नल पर 2% की छूट एवं आहूजा बुक कंपनी ने कुछ पुस्तकों पर 33.6 % तथा शेष पुस्तकों पर 45.6 % जबकि जर्नल पर 3.5 % छूट प्रस्तावित की थी।

नमूना जांच में यह पाया गया कि भट्ट ब्रदर द्वारा प्रेषित email दिनांक 15.10.2015 द्वारा पुस्तकों पर 41% तथा जर्नल पर 2% की छूट दिये जाने का प्रस्ताव था किन्तु तुलनात्मक विवरण में इसे 35% की छूट दिया जाना दर्शाया गया है।

कॉलेज द्वारा जर्नल के लिए केवल एक बार क्रयादेश दिनांक 31.12.2015 को दिया गया है जिसका मूल्य ₹14,94,503.80 है आहूजा कंपनी द्वारा जर्नल पर 3.5% की दर से छूट दिया जाना प्रस्तावित था इस प्रकार ₹52307.63 की छूट मिलनी चाहिए थी जबकि आहूजा कंपनी ने 3% के आधार पर ₹44835.11 की छूट दी थी इस प्रकार जर्नल की खरीद पर आहूजा बुक कंपनी से ₹7472.52/ की कम छूट प्राप्त हुई है

कॉलेज द्वारा आहूजा बूक कंपनी को समस्त क्रयादेश जारी कर लेखापरीक्षा तिथि तक ₹ 1,50,33,385/ मूल्य की पुस्तकें एवं जर्नल क्रय किए गए। भट्ट ब्रदर ने समय पर पुस्तकें प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इकाई इस संबंध में सक्षम अधिकारियों की संस्तुति तथा आहूजा बुक कंपनी को क्रयादेश जारी करने के संबंध में क्रय समिति की अनुशंसा संबंधी अभिलेख संप्रेक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं करा सका

आहूजा कंपनी द्वारा निम्नलिखित बिल 33.6% छूट पर दिये गए हैं

Invoice No	बिल राशि
1 6560	2626199
2 6562	2686779
3 6447	265574
4 6449	130825
5 6453	1095131
6 6449	131075
7 6445	434714
8 6447	176341
9 6437	997381
कुल योग	**85,44,019**

उपरोक्त बिलों पर 33.6% की दर से कॉलेज को 28.71 लाख की छूट प्राप्त हुई थी जबकि 35% की दर से कॉलेज को 29.90 लाख की छूट प्राप्त होती ,इस प्रकार कॉलेज को 1.19 लाख की छूट की हानि हुई है
इस प्रकार कॉलेज को पुस्तकों के क्रय पर ₹ 1.19 लाख तथा जर्नल के क्रय पर ₹7422/ की हानि हुई है, संप्रेक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि भट्ट ब्रदर ने पुस्तकों को उपलब्ध करवाने में असमर्थता बतलाई थी इसलिए आहूजा बुक कंपनी को क्रया देश जारी किए गए थे उत्तर मान्य नहीं है, तुलनात्मक विवरण के आधार पर आहूजा बुक कंपनी से 41.6 % छूट वाली पुस्तकें तथा जो पुस्तकें आहूजा बुक कंपनी से 33.6 % छूट पर ली गई थी उन्हे भट्ट ब्रदर से 35% छूट पर लिया जाना था साथ ही जर्नल को 3.5% छूट पर लिया जाना था जबकि मात्र 3% की छूट प्रदान की गयी। इस प्रकार पुस्तकों एवं जर्नल के क्रय पर ₹ 127089/ की हानि हुई है, साथ ही इकाई द्वारा पुस्तक क्रय से संबन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे पुस्तक क्रय समिति के गठन /पुस्तक चयन समिति के गठन /पुस्तक क्रय करने से संबन्धित सक्षम अधिकारियों की अनुशंसा संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं कराया गया. प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4- उपकरणों के क्रय पर रु. 2.44 लाख का अतिरिक्त व्यय भार।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमवाली 2008 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय, अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है।

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के उपकरणों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया की Anatomy, Physiology, Biochemistry एवं Community Medicine विभागों के उपकरणों के क्रय हेतु माह सितंबर 2015 में ई निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसके क्रम में विभिन्न फर्मों (B.D. Instrumentation (India), Process Industries, Instruments & Chemicals (P) Ltd., National Meditek, R Initiative Enterprises etc.) द्वारा निविदायें प्रस्तुत की गयी तथा प्रत्येक विभाग हेतु उपकरणों कि दरों का अलग-अलग तुलनात्मक विवरण बनाया गया था, जिनके आधार पर उपकरणों का क्रय किया गया था। प्रत्येक विभाग हेतु अलग-अलग तुलनात्मक विवरण बनाए जाने के कारण समान उपकरण एक ही फर्म (B.D. Instrumentation (India)) से विभिन्न विभागों हेतु भिन्न-भिन्न दरों पर क्रय किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न है-

क्रम सं.	**उपकरण**	**मूल्य(निम्न) (रु.)**	**मूल्य(उच्च) (रु.)**	**अधिक मूल्य पर क्रय किये गए उपकरण की संख्या**	**व्ययाधिक्य (रु.)**
1	Microscope Oil Immersion	9315 (Physiology)	15262 (Comm. Med.)	3	(5947X3) 17841
2	Incubator	165243 (Comm. Med.)	168400 (Anatomy)	1	3157
3	PH Meter	28418 (Physiology)	48415 (Biochemistry)	1	19997
				Total	**40995**

पुनः यह भी पाया गया कि-

I. Centrifuge के क्रय हेतु रु. 28155 की दर प्रस्तावित की, परंतु Physiology व Community Medicine विभागों हेतु दो Centrifuge का क्रय क्रमशः रु. 33680 व 61572 की दर पर किया गया इस प्रकार रु. **38942** {33680+61572-(28155X2)} का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

II. Physiology विभाग हेतु **दस** Perimeter priestly smith क्रय रु. 16840 की दर से रु. 168400 में किया गया था, जब कि ई निविदा में M/s B.D. Instrumentation (India) द्वारा रु. 15525 की दर प्रस्तावित की गयी थी, इस प्रकार **रु. 13150** {168400-(15525X10)} का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

III. Anatomy विभाग हेतु Band Saw का क्रय रु. 236250 में किया गया है, जब कि ई निविदा में M/s Instrument & Chemicals Pvt. Ltd. द्वारा रु. 103671 की दर प्रस्तावित की गयी थी, इस प्रकार **रु. 132579** (236250-103671) का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

IV. M/s R Initiative Enterprises द्वारा Spectrophotometer हेतु रु. 554312 की दर प्रस्तावित की गयी थी, जब कि उक्त उपकरण का क्रय M/s B.D. Instrumentation (India) से रु. 573613 में किया गया है, इस प्रकार **रु. 19301** का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

इस प्रकार कुल **रु. 2.44 लाख** (40995+38942+13150+132579+19301) की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्व में उपकरणों की अधिक संख्या होने के कारण निदेशालय स्तर पर विभागानुसार निविदाएँ आमंत्रित की गयी थी, जिसके कारण तुलनात्मक विवरण पृथक-पृथक बनाये गए थे एवं वर्तमान में एक ही निविदा आमंत्रित की जा रही है।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमवाली के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप उपकरणों के क्रय पर रु. 2.44 लाख का अतिरिक्त व्यय भार का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 5 - रसायनों, किट्स व रिएजेन्टस के क्रय में रु. 2.35 लाख की धनराशि का अधिक व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ऐसी सामग्री जिन की सरकारी विभागों और एजेंसियों को बार-बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केंद्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर सविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिये गए मूल्य से अधिक न हों।

कार्यालय राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के रसायनों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विभागों में कैमिकल, किट्स, रिएजेन्टस एवं एनटीबॉयोटिक्स डिस्क के क्रय हेतु विभिन्न एजेंसियों (Sunil Pharma, GRV Diagnostic Corporation, Vikas Scientific works, Sun Bio Dishnostics, Katyuri Chemicals & Instruments, OM Medicos, Sandeep Pharmaceuticals, Health Care India तथा Shiva Surgicals) से माह फरवरी 2016 में कोटेशन आमंत्रित किए गए थे तथा प्राप्त कोटेशन में पायी गयी न्यूनतम दरों के आधार पर माह अप्रैल 2016 में उक्त एजेंसियों से कैमिकल, किट्स, रिएजेन्टस आदि क्रय किए गए थे। माह अप्रैल 2016 के पश्चात कुल 10 बार में धनराशि रु. 5.80 लाख के कैमिकल, किट्स, रिएजेन्टस आदि का क्रय किया गया। पुनः जांच में यह भी पाया गया कि अप्रैल 2016 के पश्चात क्रय किए गए समान कैमिकल, किट्स, रिएजेन्टस के मूल्य लगभग 300% से 800% तक अधिक पाये गए, जिसके कारण कुल रु. 2.35 लाख की धनराशि का अधिक व्यय किया गया (विवरण संलग्न)।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि बाद में क्रय किए गए रसायन, किट्स, रिएजेन्टस पूर्व में क्रय किए गए रसायनों से उच्च गुणवत्ता के थे, प्रारम्भ में उक्त सामग्रियों की आवश्यक मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सका था एवं वर्तमान में दर अनुबंध की प्रक्रिया गतिमान है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि पूर्व में क्रय किए गए रसायनों, किट्स, रिएजेन्टस की निम्न गुणवत्ता के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था एवं वर्तमान में त्रीतीय सेमेस्टर की कक्षाएँ संचालित की जा रही है तथा अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा तिथि तक दर अनुबंध नहीं किया गया था।

अतः दर अनुबंध न किए जाने के कारण रसायनों, किट्स व रिएजेन्टस के क्रय में रु. 2.35 लाख की धनराशि के अधिक व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करके वार्षिक अनुरक्षण की राशि रु. 3.62 लाख का भुगतान।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 22(1) एवं (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्यता सामग्री सप्लाई में अग्रिम भुगतान से बचना चाहिए किन्तु अनुरक्षण ठेकों के प्रकरण में अग्रिम भुगतान निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

निजी फर्मों को अनुबंध के मूल्य का 30% जबकि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की इकाई को अनुबंध के मूल्य का 40% तक भुगतान किया जा सकता है अनुरक्षण संविदा में अग्रिम की राशि 6 माह में देय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दून मेडिकल कालेज के अध्यापन अस्पताल दून चिकित्सालय में उपकरणों एवं संयत्रों के वार्षिक अनुरक्षण ठेके (AMC) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न उपकरणों एवं संयत्रों की वार्षिक अनुरक्षण ठेके (AMU) करते समय निजी फर्मों को शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया गया है।

क्र.सं.	उपकरण का नाम	AMC फर्म का नाम	AMC की अवधि	भुगतान की गई राशि
1.	CCTV Camera	सुपरकौम मुजफ्फरनगर	16.01.2017 से 15.01.2018	244000
2.	EPABX System	सुपरकौम मुजफ्फरनगर	16.01.2017 से 15.01.2018	118248
कुल योग				**362248**

उपरोक्त दोनों बिलों का भुगतान जनवरी 2017 में कर दिया गया है तथा बिल पर इनके द्वारा संतोषजनक कार्य करने का प्रमाणपत्र भी दे दिया गया है।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि शत प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा फर्म को जनवरी 2017 में पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1 - विभागीय त्रुटि के कारण रु. 20,000/- की धनराशि का अधिक भुगतान।

कार्यालय राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के वाहनों की आपूर्ति निविदा सम्बन्धी लेखा अभिलेखों की जांच सम्प्रेक्षा दल द्वारा किए जाने पर पाया गया कि कार्यालय के उपयोगार्थ मासिक दरों पर 02 इंडिगो तथा 01 इंडिका वाहन हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थी। जिसमें कम्बाइन्ड टूर एण्ड ट्रेवल्स की दरें न्यूनतम पायी गयी। इंडिगो वाहन का मासिक किराया रु. 20,449 तथा इंडिका वाहन का मासिक किराया रु. 16,449 पर वाहनों की उपलब्धता हेतु कम्बाइन्ड टूर एण्ड ट्रेवल्स के साथ अनुबन्ध किया गया। संबन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि कालेज में 03 इंडियों वाहन का प्रयोग किया जा रहा था जबकि 01 इंडिका वाहन का प्रयोग किया जाना था। इस प्रकार मई 2017 से वर्तमान तक इंडिका के स्थान पर इंडिगों वाहन का उपयोग करने पर रु. 4000 (20,449-16,449) प्रतिमाह अधिक व्यय किया जा रहा है तथा अब तक कुल रु. 20,000 (मई 2017 से सितम्बर 2017 तक) का अधिक व्यय किया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया कि आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ 02 इंडिगो तथा 01 इंडिका वाहन हेतु ही अनुबन्ध किया गया है। आपूर्तिकर्ता फर्म को इंडिका वाहन के स्थान पर इंडिगो वाहन हेतु कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था तथा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बिना किसी सूचना के ही इंडिका वाहन के स्थान पर इंडिगो वाहन उपलब्ध करवाया गया है, जिसका कि कार्यालय द्वारा त्रुटिवश भुगतान किया गया है। साथ ही इकाई द्वारा यह भी बताया गया कि वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म से अनुबन्ध की अवधि अप्रैल 2018 तक है तथा वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म से अतिरिक्त भुगतान की गयी धनराशि रु. 20,000 की रिकवरी कर समायोजन की प्रक्रिया निकट भविष्य में पूर्ण कर ली जाएगी।

अतः विभागीय त्रुटि के कारण रु. 20,000/- की धनराशि के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- विभागीय त्रुटि के कारण रु. 32548 की धनराशि का अधिक भुगतान।

कार्यालय राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच संप्रेक्षा दल द्वारा किए जाने पर पाया गया कि श्री जगदीश प्रसाद बमोला ने रिकॉर्ड क्लर्क के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा पर दिनांक: 02.07.2016 को कार्यभार ग्रहण किया था। एक वर्ष की संविदा अवधि दिनांक: 01.07.2017 को समाप्त हो गयी थी। श्री बमोला की सेवाएँ दिनांक: 01.07.2017 को समाप्त होने के उपरान्त उन्हें माह जुलाई में वेतन रु. 33670 की धनराशि का भुगतान किया गया है, जबकि नियमानुसार उन्हें सिर्फ 01 दिन के वेतन रु. 1122 (33670÷30) की धनराशि का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार श्री जगदीश प्रसाद बमोला को माह जुलाई के वेतन के रूप में रु. 32548 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया है।

पुनः जांच में यह भी पाया गया कि श्री जगदीश प्रसाद बमोला, रिकॉर्ड क्लर्क एवं श्री एम. एल. भट्ट, स्टेनो को एक वर्ष के लिए संविदा पर रखा गया था तथा इनके वेतन निर्धारण के पश्चात इनकी पेंशन पर मंहगाई भत्ता रोकने के लिए पत्र तो प्रेषित किया पर इनकी पेंशन पर मंहगाई भत्ता किस माह से रोका गया गया, बिना पुष्टि के ही वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुये बताया गया कि माह जुलाई 2017 मे भुगतान की गयी अधिक धनराशि की निकट भविष्य में वसूली कर ली जाएगी तथा पेंशन पर मंहगाई भत्ता कब से रोका गया, इस संबंध में सूचना एकत्रित करने हेतु कर्मचारियों के पूर्व विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः विभागीय त्रुटि के कारण भुगतान की गयी अधिक धनराशि रु. 32548 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 03 : दून चिकित्सालय में पब्लिक एड्रैस सिस्टम प्रतिस्थापित नहीं किया जाना

महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड ने अक्तूबर 2013 में मैं हाइड्रो फ्लो नई दिल्ली को दून चिकित्सालय में कॉन्फ्रेंस सिस्टम तथा पब्लिक एड्रैस सिस्टम लगवाने हेतु ₹ 23.62 लाख का क्रयादेश दिया था। इस उपकरण के मूल्य में प्रतिस्थापन की दिनांक से 03 वर्ष की वारंटी भी सम्मिलित थी यह सिस्टम दिनांक 25.03.2014 को अस्पताल में लगा दिया गया था अतः इसकी वारंटी 24.03.2017 को समाप्त हो गई थी।

इसके अतिरिक्त अभिलेखों की नमूना जांच में यह भी प्रकाश में आया है कि चिकित्सालय द्वारा अगस्त 2017 में मैं हाइड्रो फ्लो को लिखे पत्र में पब्लिक एड्रैस सिस्टम को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया था पत्र के अनुसार "वर्ष 2014-15 में चिकित्सालय में वृहद मरम्मत का कार्य चल रहा था अतः पब्लिक एड्रैस सिस्टम संचालित नहीं हो सका है और पब्लिक एड्रैस सिस्टम की सामग्री स्टोर में रखवा दी गई थी।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि पब्लिक एड्रैस सिस्टम स्थापित कर दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चिकित्सालय द्वारा अगस्त 2017 में फ़र्म को पब्लिक एड्रैस सिस्टम प्रतिस्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया था इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में पब्लिक एड्रैस सिस्टम क्रियाशील नहीं पाया गया था , प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
(लागू नहीं) प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
(लागू नहीं) प्रथम लेखापरीक्षा				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य----------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   डॉ. आशुतोष सयाना, विभागाध्यक्ष जनरल सर्जरी की सेवा पुस्तिका एवं सामान्य भविष्य निधि पासबुक

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. प्रदीप भारती गुप्ता	प्राचार्य	01.12.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र